6 आरक्षण

RESERVATION

सी॰पी॰ए॰टी॰ परीक्षा–2017 में अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था निम्नवत होगीः–

6.1 उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी जाने वाली प्रत्येक मेडिकल कालेज में उपलब्ध प्रत्येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत 'उर्ध्वाधर आरक्षण' (Vertical Reservation) प्रदान किया जायेगा :–

अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

6.1.1 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का तात्पर्य विधायी अनुभाग की अधिसूचना संख्या–1576/17–वि.1–1(क)11–2002 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा अधिसूचित उ॰प्र॰ अधिनियम संख्या–1/2002 की 'अनुसूची–क' में इंगित वर्गों से है। पिछड़े वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त अधिनियम 1994 की 'अनुसूची–दो' अधिसूचना संख्या–22/16/12–का 2/1995 टी॰सी॰ दिनांक 08–12–1995 द्वारा यथासंशोधित से आच्छादित न हो उनके ही पुत्र/पुत्री को उक्त आरक्षण अनुमन्य होगा एवं विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1576/सत्रह–वि–1–1(क)–11/2002 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा अधिसूचित उ॰प्र॰ अधिनियम संख्या–1 सन् 2002 भी प्रभावी होगा।

6.1.2 सामान्य वर्ग (UR) के अभ्यर्थियों के साथ यदि उल्लिखित कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जायेगा, जैसा कि इस सम्बन्ध में शासनादेश पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। अतः उपरोक्त में उल्लिखित वर्ग की सीटों को भरने से पहले योग्यता के आधार पर 50 प्रतिशत सीटों को भरा जायेगा।

6.2 क्षैतिज आरक्षण (Horçontal Reservation)

6.2.1 सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा तथा सभी पाठ्यक्रमों में भरी जाने वाली प्रत्येक कालेज की कुल सीटों पर शारीरिक रूप से विकलांगों तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियो एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों को तथा महिला अभ्यर्थियों तथा बी–ग्रेडिंग सहित सी–सर्टिफिकेट धारी एन॰सी॰सी॰ कैडेट को निम्नवत् ''हारिजेण्टल'' आरक्षण प्रदान किया जायेगाः–

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र के पुत्र/पुत्रियों) के लिए	02 प्रतिशत
भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
विकलांग अभ्यर्थियों के लिए	03 प्रतिशत
महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत
बी–ग्रेडिंग सहित सी– सर्टिफिकेट धारी एन॰सी॰सी॰ कैडेट	01 प्रतिशत

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन–पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश–परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता–सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे–काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण–पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।

6.2.2 यह आरक्षण हॉरिजेन्टल प्रकृति का होगा और उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य श्रेणियों में से उस श्रेणी में रखा जायेगा, जिससे वह संबंधित है। उदाहरणार्थ यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अन्तर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि विकलांग अभ्यर्थियों को प्रदत्त आरक्षण के अन्तर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़े वर्ग या सामान्य श्रेणी का है तो उसे अन्य पिछड़े वर्ग या सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियो एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों)/युद्ध में शहीद/अपंग सैनिकों के पुत्र, पुत्री/विकलांग/महिला अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों की अनारक्षित (ओपेन मेरिट) है तो उसे अनारक्षित (ओपेन मेरिट) में रखा जायेगा। विकलांग अभ्यर्थियों की विकलांगता इस सीमा तक न होगी कि चिकित्सा शिक्षा में बाधक हो। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियो एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों), भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों विकलांग श्रेणी एवं बी–ग्रेडिंग सहित सी–सर्टिफिकेट धारी एन॰सी॰सी॰ कैडेट के जो अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों में आवेदन करेंगे, वह इसी उपश्रेणी की आरक्षित सीट के विरूद्ध समायोजित किये जायेंगे।

6.3 **आरक्षित श्रेणियों की सीटों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा :–**

6.3.1 आरक्षण के सम्बन्ध में किसी भेद–भाव की आशंकाओं को दूर करने के लिए उत्तर–पुस्तिकाओं तथा प्रवेश–पत्रों पर श्रेणी का उल्लेख नहीं किया जायेगा। उत्तर–पुस्तिकाओं पर किसी श्रेणी के अभ्यर्थी का अलग से अनुक्रमांक चिन्हित नहीं किया जायेगा।

6.3.2 अनुसूचित जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी पूरी संख्या में उपलब्ध न होने पर इन आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जायेगा।

6.3.3 प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर संगत श्रेणी तथा उप–श्रेणी जिसके अन्तर्गत वह सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 हेतु अभ्यर्थन कर रहा है, स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा। किसी अस्पष्टता अथवा प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रपत्र पर न होने की स्थिति में उसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा तथा उसकी श्रेणी को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

6.3.4 विकलांग अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार विकलांगता प्रमाण–पत्र महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ॰प्र॰ द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत किया जायेगा। मेडिकल बोर्ड के समक्ष केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को उपस्थित होना होगा जो लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर विकलांगता की श्रेणी में काउन्सिलिंग हेतु आमंत्रित किये जाएंगे। मेडिकल बोर्ड लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् प्रथम काउन्सिलिंग के पूर्व बैठेगा।

6.3.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्री के पुत्र/पुत्रियों की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

6.3.6 कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–18/1/2008–का–2/2015 दिनांक 21–04–2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित पुत्र, पुत्री, पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी अर्थात् केवल जिलाधिकारी द्वारा ही निर्गत आश्रित प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

6.3.7 अभ्यर्थियों को इस सम्बन्ध में काउन्सिलिंग बोर्ड के समक्ष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा प्रवेश के समय भी सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र से प्रमाणित छायाप्रति की सत्यता की पुष्टि के उपरान्त ही प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन–पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश–परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता–सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे–काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण–पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।

6.3.8 स्पेशल अपील संख्या–689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा॰ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये छात्रों को सी॰पी॰ए॰टी॰ के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन–पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश–परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता–सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे–काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण–पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।